अध्याय VI

आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती

अध्याय VI: आबकारी खुफिया ब्यूरो और जब्ती

आबकारी खुफिया ब्यूरो की खुफिया जानकारी एकत्र करने और बाद में समन्वित छापे तथा जब्ती के माध्यम से शराब की अवैध तस्करी और शराब की अंतर्राज्यीय तस्करी से निपटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आगे की जांच और अभियोजन के लिये कार्रवाई की जाती है। जब्ती शाखा सभी दर्ज एफआईआर (दिल्ली पुलिस द्वारा स्वतंत्र रूप से दर्ज की गई एफआईआर सहित) का रिकॉर्ड रखती है और जब्त की गई संपत्ति के निपटान की प्रक्रिया की जानकारी रखती है।

यह देखा गया कि ईआईबी और जब्ती शाखा कम समन्वय के साथ कम इष्टतम ढंग से काम कर रहे थे। एफआईआर और बरामदगी पर नियमित डेटा को अल्पविकसित तरीके से रखा गया था जिसका विश्लेषणात्मक मूल्य कम था। तस्करी के मूल कारण पर रोक लगाने के लिए कोई भी कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने देशी शराब की तस्करी के लिए संभावित संरचनात्मक कारकों को इंगित करने के लिए नमूना डेटा का विश्लेषण किया।

6.1 परिचय

आबकारी खुफिया ब्यूरो (ईआईबी) नियामक कार्य करने वाली आबकारी विभाग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसे निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गयी है:

- विभिन्न नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं की अंतर्राज्यीय तस्करी की रोकथाम करना
- अवैध शराब और नशीली दवाओं के निर्माण और बिक्री का पता लगाना
- बिना लाइसेंस के परिसरों में अवैध रूप से शराब परोसने की जांच करना और पी-10 लाइसेंस[36] का अनुपालन सुनिश्चित करना
- अवैध शराब की बिक्री का रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ संपर्क करना

[36] पी-10 परमिट आवासीय स्थानों और सामुदायिक केंद्रों पर आयोजित होने वाली व्यक्तिगत पार्टियों में भारतीय शराब और विदेशी शराब की सेवा के लिए एक परमिट है।

ईआईबी में दिल्ली पुलिस के समर्पित फील्ड कर्मी और पुलिस की सहायता करने वाले मुखबिरों का एक नेटवर्क शामिल है। ईआईबी छापेमारी करता है, अवैध शराब और संबंधित वाहन को जब्त करता है, जब्ती ज्ञापन तैयार करता है और स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है।

आबकारी विभाग की जब्ती शाखा, आबकारी अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी एफआईआर के रिकॉर्ड एकत्र करती है और आबकारी अधिनियम के तहत जब्त शराब को नष्ट करने और जब्त किए गए वाहनों की नीलामी की कार्यवाही करती है।

6.2 ईआईबी डेटा का विश्लेषण

ईआईबी के पिछले चार वर्षों (2017-21) के जब्ती के सभी मामलों और एफआईआर विवरण के इलेक्ट्रॉनिक डेटा का विश्लेषण शराब की तस्करी के पैटर्न से संबंधित कुछ अंतःदृष्टि प्राप्त करने के लिए किया गया था तथा आबकारी विभाग द्वारा मामलों के संज्ञान की जांच करने के लिए भौतिक अभिलेखों की नमूना-जांच की गई थी।

अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ईआईबी डेटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

(i) ईआईबी द्वारा कुल 3580 एफआईआर दर्ज की गईं।

(ii) जब्त आईएमएफएल की कुल मात्रा 4.38 लाख क्वॉर्टे[37] (एक क्वार्ट में 750 एमएल होती है) थी और जब्त की गई देशी शराब 9.12 लाख क्वॉर्ट थी।

(iii) वर्ष 2018 (774), 2019 (876) और 2020 (1068) में एफआईआर की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई। हरियाणा की सीमा से लगे दिल्ली के जिलों (दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, बाहरी) में आबकारी अधिनियम के तहत कुल एफआईआर का 83 *प्रतिशत* और शराब (आईएमएफएल और सीएल) मात्रा के हिसाब से 77 *प्रतिशत* है।

(iv) देशी शराब सबसे अधिक जब्त की गई शराब है जो ईआईबी द्वारा जब्त की गई कुल शराब का 65 *प्रतिशत* है। इसके कुछ कारणों पर निम्नलिखित पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

[37] विभिन्न बोतल आकारों का उल्लेख किया गया है लेकिन क्वॉर्ट समकक्ष के रूप में एकत्रित किया गया है

6.3 देशी शराब खरीद में ढांचागत कमजोरियां जो इसकी तस्करी को बढ़ावा दे रही है

लेखापरीक्षा ने थोक जब्ती से संबंधित कुल 34 एफआईआर (2017-21) का इस प्रकार चयन किया कि यह प्रत्येक वर्ष में जब्त की गई कुल देशी शराब का कम से कम 10 *प्रतिशत* हो। इन चयनित एफआईआर का विस्तार से विश्लेषण किया गया। देशी शराब की तस्करी, देशी शराब की खरीद और लाइसेंस नीति की संरचनात्मक कमजोरियों की ओर इंगित करती है:

(i) डेटा से पता चलता है कि लगभग सभी जब्त शराब की बोतलें "निप्स (180 एमएल)" थीं। देशी शराब की सोर्सिंग नीति ने कुल कोटे में निप्स की संख्या पर प्रतिबंध लगा दिया। निप्स कुल आपूर्ति का केवल 20 *प्रतिशत* ही बन सका। यह प्रतिबंध कृत्रिम और अनुचित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईएमएफएल के मामले में, "निप्स" सबसे अधिक लोकप्रिय शराब की बोतल का आकार था, जो बेची गई बोतलों के 50[38] *प्रतिशत* से अधिक का योगदान करता था, जो कि अन्य सभी आकारों की संयुक्त बिक्री से अधिक था।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि लेखापरीक्षा की आपत्ति विचारणीय है और देशी शराब सोर्सिंग नीति में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा जा रहा था ताकि निप्स के अनुपात में वृद्धि की जा सके। हालांकि, यह भी कहा गया कि चूंकि देशी शराब सबसे सस्ती है, इसलिए डिस्टिलरी के लिए पूरी बोतल बेचना किफायती हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने जवाब के अंतिम भाग को असंतोषजनक पाया, क्योंकि बेहतर आपूर्ति और राजस्व का अनुकूलन आबकारी विभाग की चिंता होनी चाहिए न कि डिस्टिलरी की आर्थिक चिंता। निविदा प्रक्रिया वैसे भी उचित मूल्य पर उपयुक्त कोटा के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं की खोज कर लेगी।

(ii) दिल्ली में देशी शराब की वास्तविक मांग का कोई वास्तविक आंकलन नहीं किया गया था। पिछले आठ वर्षों से, देशी शराब की आपूर्ति 300 लाख बीएल (बल्क लीटर) प्रति वर्ष सीमित थी, जो कि प्लस या माइनस 25 *प्रतिशत* तक भिन्नता के अधीन थी (वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक वास्तविक आपूर्ति औसत 240 लाख बीएल काफी कम थी)। दिलचस्प बात यह है कि 2009-10 और 2010-11

[38] इस रिपोर्ट के अध्याय-2 में ठेका बिक्री डेटा विश्लेषण के नमूने के अनुसार

में देशी शराब की आपूर्ति क्रमशः 520.65 लाख बीएल और 495 लाख बीएल थी। वर्ष 2013-14 में देशी शराब की आपूर्ति अचानक पिछले स्तर के आधे से भी कम 236 लाख बीएल तक कम हो गई थी। शुरू में उद्धृत कारण था, "बेहतर गुणवत्ता वाली शराब की ओर उपभोक्ता की पसंद में धीरे-धीरे बदलाव" एक ऐसा दावा जो निराधार था। यह मूल रूप से 2012-13 में दिल्ली मीडियम लीकर (डीएमएल) को देशी शराब के विकल्प के रूप में पेश करने के लिए मंत्रीमंडल के एक निर्णय द्वारा किया गया था, हालांकि, यह एक विफलता के रूप में समाप्त हो गया और 2015-16 की नीति में डीएमएल परियोजना को बंद कर दिया गया। संयोग से, देशी शराब का कोटा कभी भी पिछले स्तरों तक पुन: स्थापित नहीं किया गया और कम किए गए 300 लाख बीएल के रूप में रहा। आपूर्ति पक्ष की बाधा के कारण देशी शराब की तस्करी और अवैध बिक्री का जोखिम होता है जिससे अंततः आबकारी राजस्व में हानि होती है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि देशी शराब की आपूर्ति के लिए वार्षिक निविदा 33 लाख पेटी के लिए थी और आपूर्ति की गई वास्तविक मात्रा 30 लाख पेटी से कम थी, जिससे यह अनुमान लगता है कि देशी शराब की आपूर्ति वास्तव में पर्याप्त थी।

जवाब असंतोषजनक है, क्योंकि डेटा (देशी शराब की कोटा यूटिलाइज्ड रिपोर्ट) से पता चलता है कि वर्ष 2017-18 से 2020-2021 के लिए, आबकारी विभाग द्वारा आपूर्ति के लिए आवंटित औसत कोटा वास्तव में जवाब में उल्लिखित 33 लाख पेटी न होकर 27.32 लाख पेटी थी। इसके अलावा, देशी शराब के थोक लाइसेंसधारियों से आपूर्ति में भी कमी थी और देशी शराब की वास्तविक आपूर्ति औसतन 26.52 लाख पेटी थी। दुकानों की संख्या की पर्याप्तता, देशी शराब की दुकानों के उचित भौगोलिक वितरण, शुल्क भुगतान की गई शराब की मांग पर देशी शराब की तस्करी के प्रभाव आदि के आधार पर वास्तविक मांग आकलन की आवश्यकता है।

(iii) देशी शराब के मामले में, निर्माताओं को आबकारी शुल्क विभाग द्वारा कोटा की नीलामी के अनुसार चुना गया था, इस प्रकार आपूर्ति किये गये ब्रांड कुछ[39]

[39] वर्षवार देशी शराब के उपलब्ध ब्रांड 2017-18 -6 ब्रांड, 2018-19 -8 ब्रांड, 2019-20 -7 ब्रांड, 2020-21 -7 ब्रांड

निर्माताओं पर निर्भर थे जो चुने गये थे। देशी शराब के विशिष्ट ब्रांडों (जैसे असली संतरा, रसीला संतरा) की बड़े पैमाने पर तस्करी ग्राहकों की पसंद का संकेत हो सकती है क्योंकि इन ब्रांड के निर्माता दिल्ली देशी शराब कोटा के लिये आपूर्तिकर्ता नहीं थे और वस्तुतः एक समानांतर आपूर्ति श्रंखला चला रहे थे।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि देशी शराब के लिये थोक लाइसेंस एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया गया था, जहाँ सभी डिस्टिलरी भाग लेने के लिये स्वतंत्र थी और किसी भी निर्माता को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई थी।

जवाब असंतोषजनक है क्योंकि निविदा प्रक्रिया वास्तव में प्रतिबंधात्मक थी क्योंकि "एल3 लाइसेंस के लिये निविदा के नियम और शर्तें" में स्पष्ट रूप से उन आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी की अनुमति नहीं दी गई जो कुल कोटा के 10 *प्रतिशत* से कम आपूर्ति करने के इच्छुक थे, इस प्रकार एक वर्ष में अधिकतम 10 देशी शराब ब्रांड ही हो सकते थे। देशी शराब के लिये विकल्प की यह कमी अतार्किक थी।

इस प्रकार विभाग द्वारा उचित मांग मूल्यांकन की कमी के साथ-साथ एल3 लाइसेंस के लिये निविदा की प्रतिबंधात्मक शर्तों और, ग्राहकों की प्राथमिकताओं की अनदेखी ने देशी शराब की समानांतर आपूर्ति में योगदान दिया, जिससे सरकार को राजस्व की संभावित हानि हुई।

6.4 जब्ती शाखा की भूमिका और ईआईबी के साथ समन्वय का अभाव

विभाग द्वारा वर्ष 2010 से 2021 तक की जब्ती के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। जनवरी 2017 से दिसंबर 2021 की अवधि के मामलों का विश्लेषण किया गया। आबकारी अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा कुल 12,556 एफआईआर दर्ज की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। जब्ती के आंकड़ों में ईआईबी मामलों को शामिल किया गया था क्योंकि जब्ती शाखा ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को उठाने और निपटाने के रिकॉर्ड रखे थे।

दिल्ली में आपूर्ति की जा रही अवैध शराब (आबकारी विभाग के नियामक दायरे से बाहर) की जब्ती के लिए ईआईबी और दिल्ली पुलिस एक साथ (कुल जब्ती मामलों में योगदान देने के लिये) जिम्मेदार है।

जब्ती डेटा को हॉटस्पॉट और फोकस क्षेत्रों को उपलब्ध करने में सक्षम होना चाहिए जहां ईआईबी उनके बाद के प्रयासों को निर्देशित कर सकता है। **चार्ट 6.1** से पता चलता है कि ईआईबी द्वारा कई हॉटस्पॉट की अनदेखी की जा रही थी क्योंकि नियोजित छापों की संख्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई द्वारा सामने आए मामलों के समान अनुपात में नहीं थी। यह स्पष्ट है कि जब्ती डेटा की जानकारी का उपयोग ईआईबी के छापे की योजना बनाने के लिए नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि ईआईबी ने कुछ क्षेत्रों/पुलिस थानों (पी.एस.) के सभी मामलों में बड़े अनुपात में योगदान दिया (जैसा कि जब्ती के आंकड़ों से पता चलता है)। उदाहरण के लिए, अलीपुर थाने में कुल 253 मामलों में ईआईबी के 164 मामले दर्ज थे। हालांकि, यह कई क्षेत्रों के लिए सही नहीं है, जहाँ दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन ईआईबी ने उन क्षेत्रों को प्राथमिकता नहीं दी। सुल्तानपुरी पी.एस. में सबसे अधिक एफआईआर यानी 387 दर्ज थी, लेकिन ईआईबी ने इनमें से केवल 27 में योगदान दिया था। इसी तरह, बहुत से हॉटस्पॉट्स पर ईआईबी का अतिरिक्त जोर नहीं देखा गया है, जो ईआईबी द्वारा एक कमजोर और असमन्वित/अनियोजित संचालन को दर्शाता है (**चार्ट 6.1** देखें)।

चार्ट 6.1: 2017-21 एफआईआर की तुलना

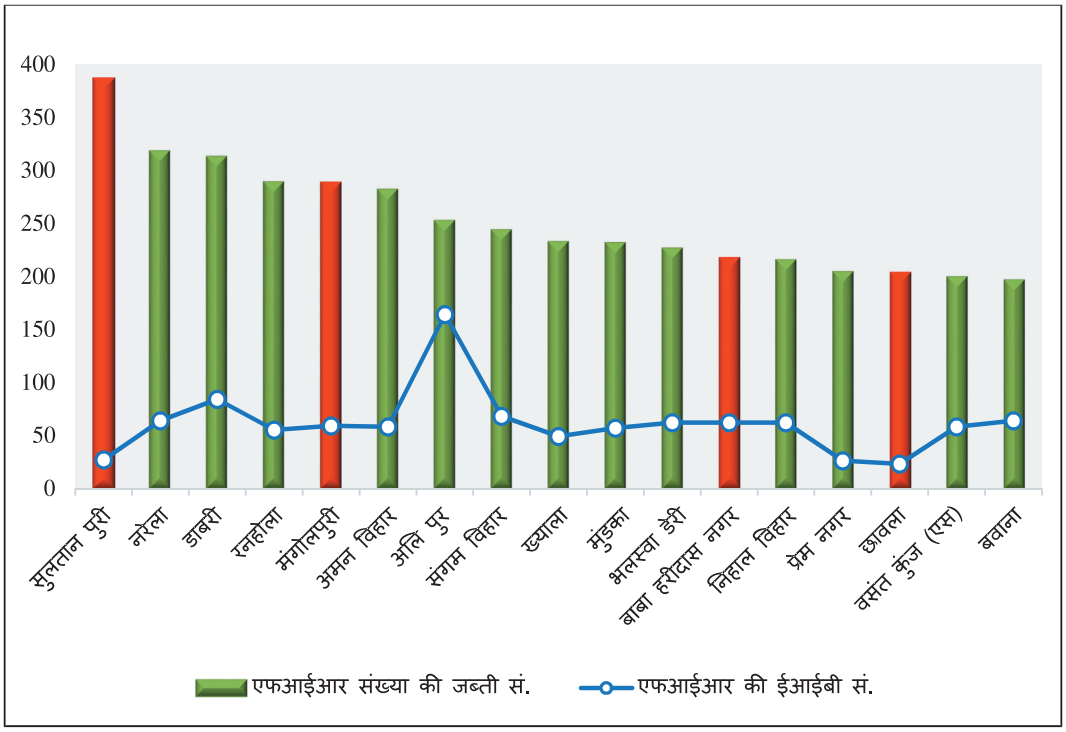

ईआईबी को आबकारी विभाग की प्रवर्तन/जब्ती शाखा के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि ईआईबी की खुफिया जानकारी के बिना, शराब की तस्करी की रोकथाम के प्रयास अप्रभावी और निष्क्रिय हो जाते है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि ईआईबी इस तथ्य पर विचार करता है कि कुछ क्षेत्र तस्करी के लिए अतिसंवेदनशील हैं और यह तदनुसार उन क्षेत्रों पर स्थानीय पुलिस मुखबिरों का उपयोग करने पर जोर देता है। ईआईबी टीमों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है (बैठक के कार्यवृत्त संलग्न नहीं थे) और रिकवरी डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ईआईबी, शराब पकड़ने के बाद जांच एजेंसी यानी दिल्ली पुलिस को औपचारिक शिकायत देता है जो एफआईआर दर्ज करती है और नजदीकी समन्वय बनाए रखा जाता है। हॉटस्पॉट की पहचान और समन्वित छापेमारी के साथ-साथ ईआईबी, जब्ती, प्रवर्तन और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय पर जोर दिया गया।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईआईबी, प्रवर्तन शाखा और ज़ब्ती शाखा के बीच ऐसी सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय, जैसा कि जवाब में दिया गया है, के बारे में कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया। यहां तक कि डेटा को खंडित तरीके से या एक्सेल शीट में कई डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के साथ रखा गया था। पिछले वर्षों में समान ब्राण्डों की बढ़ती संख्या के साथ तस्करी के बढ़ते मामले, सख्ती के दावे को झुठलाता है। इसके अलावा, निश्चित क्षेत्रों में ईआईबी द्वारा उठाए गए मामलों की संख्या दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए मामलों के अनुपात में नहीं थी, जो समन्वय और फोकस की कमी को दर्शाता है। प्रवर्तन शाखा के साथ समन्वय की कमी इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2018-19 में एल1, एल1एफ/एल31, एल32 लाइसेंसधारी परिसरों पर योजनाबद्ध प्रवर्तन छापे के 75 *प्रतिशत* मामलों में उल्लंधन पाए जाने के बावजूद (12 प्रवर्तन छापों में से 9 में उल्लंघन पाया गया), 2019-20 में केवल दो प्रवर्तन छापे मारे गए।

अनुशंसा 6.1: इएससीआईएमएस का उपयोग ईआईबी, जब्ती और प्रवर्तन मामलों से संबंधित सूक्ष्म डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। शराब की तस्करी के हॉटस्पॉट, शामिल ब्रांड, तस्करी के संभावित कारणों, अनुमानित राजस्व रिसाव आदि को पहचानने के लिए जब्ती और ईआईबी मामलों के मामलेवार एकत्रित आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया जाना चाहिए।

6.5 अन्य कमियां और समन्वय का अभाव

लेखापरीक्षा ने 2017-21 के दौरान पंजीकृत 70 एफआईआर (आईएमएफएल-16, एफएल-20, सीएल-34) की जांच की और निम्नलिखित पाया:

(i) लेखापरीक्षा ने पाया कि ईआईबी की भूमिका सामान्य रूप से आबकारी विभाग के कामकाज (लाइसेंस जारी करना और प्रबंधन तथा उसके बाद विनियमन) से काफी हद तक अलग रहा। ईआईबी छापे से तस्करी की दृष्टि से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों और तस्करी की गई शराब के प्रकार और ब्राडों आदि के संदर्भ में शराब की तस्करी के एक व्यवस्थित और बहुत ही अनुमानित पैटर्न सामने आया। डेटा से पता चलता है कि एक डिस्टिलरी (एडीएस स्पिरिट्स) द्वारा निर्मित चार आईएमएफएल ब्रांड में सभी आईएमएफएल बरामदगी का 38 *प्रतिशत* शामिल है और इसी डिस्टलरी से संबंधित एक ब्रांड में कुल देशी शराब की बरामदगी का 69 *प्रतिशत* शामिल है। दिल्ली में पकड़ी गई “असली संतरा” और “संतरा मसालादार” ब्रांड नाम वाली तस्करी की शराब पर लगभग विशेषरूप से "हरियाणा में बिक्री के लिए" अंकित था। "क्रेज़ी रोमियो" नामक ब्रांड के मामले में, दिल्ली में आमतौर पर जब्त की गई शराब पर "अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए" अंकित किया गया था।

केस फाइलों के अनुसार, मामलों की कार्यवाई आरोपियों को नोटिस जारी करने, वाहन की नीलामी और शराब को नष्ट करने तक ही सीमित थी। समस्या के आपूर्ति पक्ष के मुद्दों को सामने लाने के लिये शराब की आपूर्ति के प्रबंधन/विनियमन पर असर डालने वाले अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की आगे जांच नहीं की गई।

इसके अलावा, विभाग के पास उपलब्ध रिकार्ड में समान/प्रतिस्पर्धी ब्रांडों की घरेलू बिक्री पर कुछ ब्रांडों की तस्करी के प्रभाव या राजस्व पर इसके संभावित प्रभाव के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं किया गया था।

अन्य राज्यों के आबकारी अधिकारियों के साथ एक ठोस कार्रवाई से तस्करी की जा रही शराब के स्त्रोत के बारे में सबूत इकट्ठा करने और इसकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती।

(ii) एफआईआर और जब्ती ज्ञापन को ठीक से तैयार नहीं किया गया था और तस्करी के ब्रांड और उक्त शराब के निर्माता के सटीक नाम को नजरअंदाज कर दिया गया था। दो एफआईआर में, एफआईआर, जब्ती ज्ञापन और आबकारी विभाग द्वारा जारी जब्ती नोटिस में दर्ज ब्रांड/मात्रा के बीच विसंगतियां देखी गई थी। एफआईआर में हाई स्पीड व्हिस्की (क्वीन डिस्टिलरी) को जब्ती ज्ञापन में बेस्टो व्हिस्की (एनवी डिस्टिलरी) के रूप में लिखा गया था, आबकारी विभाग द्वारा जारी नोटिस में 'असली संतरा' ब्रांड की जब्त की गई बोतलों की संख्या यानी 6,900 निप्स का उल्लेख नहीं किया गया था।

(iii) नवम्बर 2014 और फरवरी 2020 के बीच, पैलेट फेस्ट प्रा.लिमिटेड को 7.8 लाख बोतल शराब खरीदने की अनुमति 29पी-10ए लाइसेंस जारी करके दी गई थी। हालांकि 31 अक्टूबर 2014 को, पैलेट फेस्ट प्रा. लिमिटेड ने तीन दिन के आयोजन के लिए तीन लाख बोतल शराब खरीदने के लिए तीन परमिट के लिए आवेदन किया था और इसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी। बाद में, एक एफआईआर (साउथ कैंपस) में पैलेट फेस्ट प्रा. लिमिटेड को पी-10ए लाइसेंस पर जारी शराब की जमाखोरी को दर्शाया गया जिसका उपयोग नहीं किया गया और उसे कथित तौर पर रेस्तरां को आपूर्ति के लिए भेजा जा रहा था (रेस्तरां पर लगाए गए अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए)। आबकारी विभाग द्वारा मामले की आगे जांच नहीं की गई कि इकाई को पी10ए लाइसेंस पर इतनी भारी मात्रा में शराब क्यों जारी की गई, जो पाँच वर्षों से अधिक समय से उनके सामान्य माँग पैटर्न से बहुत अधिक थी।

नमूना जांच की गयी सभी 70 एफआईआर में यह पाया गया कि किसी भी एफआईआर में, आबकारी विभाग ने जब्त शराब की आपूर्ति पक्ष के मुद्दे को संबोधित करने की कोशिश नहीं की।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि आबकारी अधिनियम, 2009 के अनुसार लाइसेंस देने में ईआईबी की कोई भूमिका नहीं है। यह भी उल्लेख है कि ईआईबी डेटा का उपयोग किया जाता है, टीमों के प्रदर्शन की निगरानी की जाती है और रिकवरी डेटा का विश्लेषण किया जाता है और ईआईबी, प्रवर्तन और प्रवर्तन गतिविधियों के बीच धनिष्ठ समन्वय बनाये रखा जाता है। खराब तरीके से तैयार की गई एफआईआर के संबंध में कहा गया

कि सावधानी के बावजूद, कुछ अनजानी त्रुटियां हो सकती हैं। तस्करी के बारे में, यह जवाब दिया गया कि तस्करों ने मूल्य अंतर का लाभ उठाने के लिए निकटवर्ती राज्यों से कानूनी रूप से शराब खरीदी होगी। यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी नीति निर्माताओं की भूमिका को हटा देगी क्योंकि वे लाइसेंसधारी नहीं हैं। पी-10ए परमिट के कथित दुरुपयोग के संबंध में कहा गया कि पी-10ए परमिट के द्वारा खरीदी गई शराब को परमिट के साथ टैग नहीं किया जाता है और शराब और परमिट के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि कोई भी रेस्तरां गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब नहीं परोसता क्योंकि यह एक बड़ा अपराध है।

जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि ईआईबी, प्रवर्तन और जब्ती के बीच ऐसी सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय के लिये कोई सहायक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था जैसा कि जवाब में कहा गया है। यहाँ तक कि डेटा को खंडित तरीके से एक्सेल शीट में कई डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के साथ रखा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में तस्करी के बढ़ते मामले एवं समान ब्रांडों की बढ़ती संख्या सख्ती के दावे को झुठलाते है। इसके अलावा, विभाग ने एफआईआर में पी-10ए परमिट के कथित दुरुपयोग के निष्कर्षों का खंडन किया है और तर्क दिया है कि रेस्तरां एनडीपीएल की सेवा नहीं देते हैं, जो प्रवर्तन दल और ईआईबी के निष्कर्षों के विपरीत है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एफआईआर के बाद जांच के परिणामों को जोड़ा जा सकता है।

अनुशंसा 6.2: लाइसेंस जारी करने और प्रवर्तन छापे की योजना बनाने जैसे आबकारी विभाग के प्रशासनिक और नियामक कार्यों को मजबूत करने के लिए ईआईबी और जब्ती शाखा से प्रतिपुष्टि शामिल की जानी चाहिए।

अनुशंसा 6.3: अवैध शराब आपूर्ति श्रृंखला पर जांच-पड़ताल करने के लिए अन्य राज्यों के आबकारी विभागों के साथ समन्वित कार्रवाई की योजना बनाई जानी चाहिए।

6.6 निष्कर्ष

देशी शराब सोर्सिंग नीति ने कुल कोटे में निप्स की संख्या पर प्रतिबंध (कुल आपूर्ति का 20 *प्रतिशत*) लगाए रखा, जो कृत्रिम था और तस्करी को बढ़ावा देने वाला था। वर्ष 2013-14 में देशी शराब के विकल्प के रूप में दिल्ली मीडियम लीकर (डीएमएल) को शुरू करने के आधार पर देशी शराब की आपूर्ति पिछले वर्ष की आपूर्ति की आधी पर

सीमित कर दी गई थी। यद्यपि डीएमएल परियोजना को 2015-16 में छोड़ दिया गया था, पर देशी शराब का कोटा पिछले स्तरों पर बहाल नहीं किया गया था। कृत्रिम मांग और आपूर्ति अंतर तस्करी वाली शराब को बढ़ावा देता है। ईआईबी एवं जब्ती शाखा समन्वित रूप में काम नहीं कर रही थी। जब्ती के आंकड़ों का इस्तेमाल ईआईबी छापे की योजना बनाने के लिए नहीं किया जा रहा था। एफआईआर और जब्ती ज्ञापन ठीक से तैयार नहीं किए गए थे और आमतौर पर कई मामलों में तस्करी के ब्रांड और उक्त शराब के निर्माता के सटीक नाम को नजरअंदाज कर दिया गया था।